PRADESH

Magnetic Variation from True North about ½° East in 1975.
(Annual change negligible).

No. 53 H/5

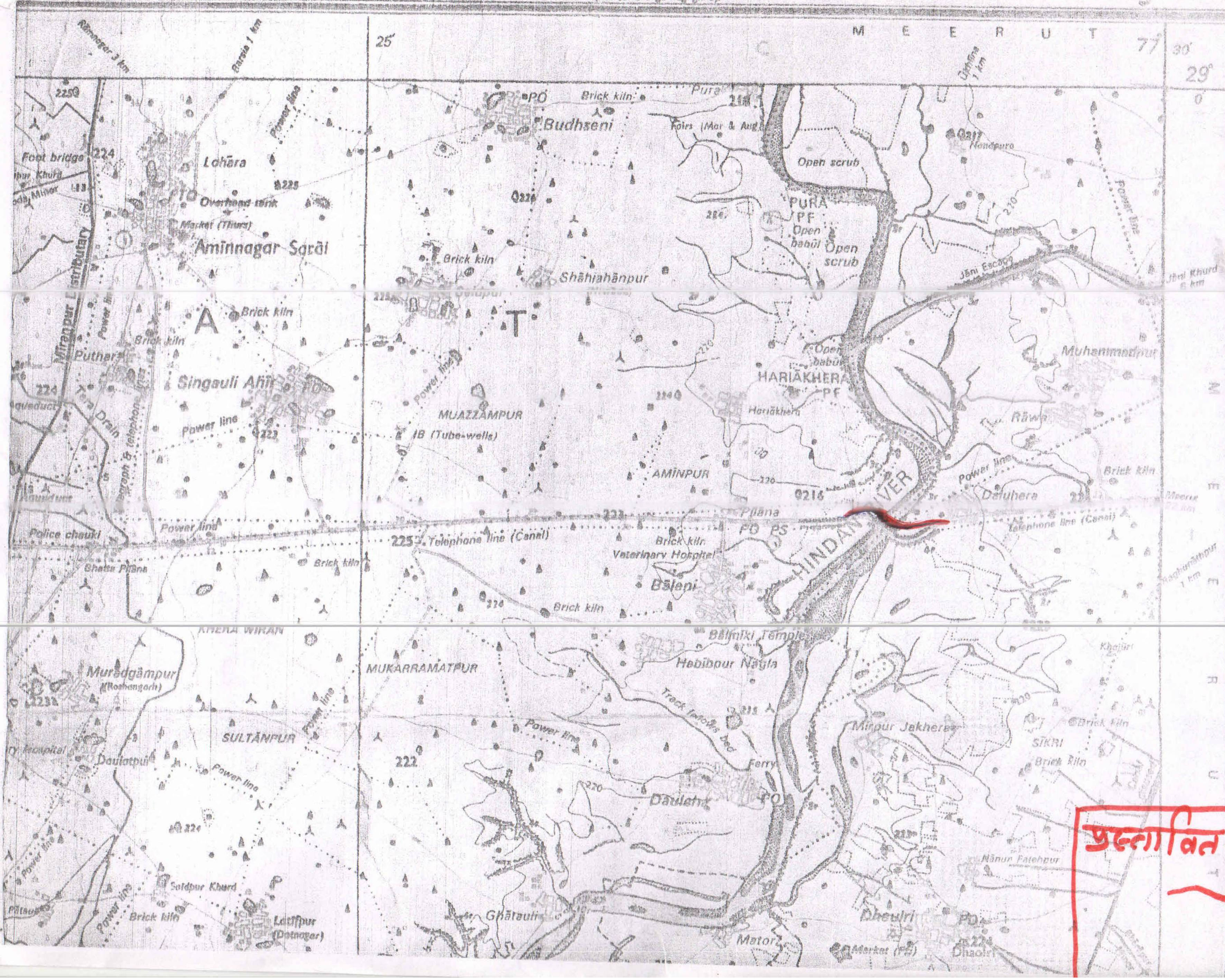

संलग्नक–(   )

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

जनपद बागपत/ मेरठ में प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत द्वरा वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण आज दिनांक 10.06.2015 को श्री राजेश कुमार उपराजिक, प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी बागपत एवं प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत के प्रतिनिधि श्री मनवीर सिंह अवर अभियंता द्वारा किया गया। उक्त पहुंच मार्ग हेतु प्रस्तावित 1.215 हे0 लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि की मांग अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। **उक्त पहुच मार्ग जनपद बागपत व मेरठ में है परन्तु लोक निर्माण विभाग बागपत एवं वन विभाग बागपत के कार्य क्षेत्र में आता है।** प्रस्तावित वन भूमि पर पहुंच मार्ग बनाया जाना अति आवश्यक है। अतः परियोजना में बाधक वृक्षों का कटान कराया जाना अपरिहार्य है। उन्हें याची विभाग/प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मौके पर कोई भी कार्य नहीं कराया गया हैं। अतः वन सुरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रस्तावित वन भूमि का आंकलन निम्नवत् है।

क्र0सं0	पहुंच मार्ग का विवरण		क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)
	(A) Distt. Meerut (Village Dhilora)	451.00× 19.45 मी0	8771.45 वर्ग मी0
	(B) Distt. Baghpat (Village Hariya khera)	223.00×15.15	3378.45 वर्ग मी0
	कुल क्षेत्रफल	(A+B)	12150.40 वर्ग मी0
		या	1.215 हे0

(मनवीर सिंह)
अवर अभियंता,
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

Raj:

(शिव कुमार)
सहायक अभियंता,
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

(बालेन्द्र)
अधिशासी अभियंता,
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

(   )
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बागपत।

संलग्नक–(02)

प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी लैण्ड शैड्यूल

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागपत/मेरठ में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत द्वारा गढ़–मेरठ–बागपत–सोनीपत मार्ग मार्ग के किनारे प्रस्तावित एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाली निम्नानुसार संरक्षित वन भूमि की आवश्यकता है:–

क्र0सं0	विवरण	लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)
1	बागपत–मेरठ राज्य मार्ग कि0मी0 71 में हिण्डन सेत के दायीं ओर (बागपत की ओर) एवं बायीं ओर (मेरठ की ओर)।			
	सेतु के दाई ओर जनपद बागपत में (ग्राम हरिया खेड़ा)	223.00	15.15	3378.45
	सेतु के बाई ओर जनपद मेरठ में (ग्राम ढिलौरा)	451.00	19.45	8771.95
	Total			12150.40
			OR	1.215 है0

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

संलग्नक–(03)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागपत/मेरठ में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत द्वारा 1.215 हे0 **लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि** के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु भेजे जा रहे प्रस्ताव में मौके पर कोई निर्माण का कार्य नहीं किया गया है और बिना भारत सरकार/राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त किये कोई कार्य नहीं कराया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता दी जाती है।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

संलग्नक—(04)

एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कराने हेतु वचनबद्धता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागपत/मेरठ में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत द्वारा 1.215 हे0 **लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि** के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु भेजे जा रहे प्रस्ताव में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा वांछित एन0पी0वी0 (शुद्ध वर्तमान मूल्य) की धनराशि भुगतान हेतु वचनबद्धता दी जाती है। साथ ही इस सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार/माननीय न्यायालयों के द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुपालन हेतु भी वचनबद्धता दी जाती है।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

संलग्नक–(05)

क्षतिपूर्वक वनीकरण की धनराशि भुगतान करने हेतु वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागपत/मेरठ में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत द्वारा 1.215 हे0 **लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि** के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु भेजे जा रहे प्रस्ताव में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा वांछित क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि के भुगतान हेतु वचनबद्धता दी जाती है। साथ ही इस सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार/माननीय न्यायालयों के द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुपालन हेतु भी वचनबद्धता दी जाती है।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

संलग्नक—(06)

<u>प्रस्तावित परियोजना में कोई राष्ट्रीय धरोहर न होने का प्रमाण—पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागपत/मेरठ में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत द्वारा प्रस्तावित सेतु तक पहुँच मार्ग निर्माण हेतु वांछित 1.215 हे0 **<u>लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि</u>** में कोई धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का भवन/मन्दिर/मस्जिद/रक्षा प्रतिष्ठान नहीं है।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

संलग्नक—(07)

<u>प्रस्तावित कार्य के कराने के उपरान्त ट्रैन्चों/गढ़्ढ़ों को पूर्ववत स्थिति में लाने हेतु वचनबद्धता</u>

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागपत/मेरठ में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत द्वारा जनपद प्रस्तावित पुल तक एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु वांछित 1.215 हे0 लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कार्य के दौरान खड़े **वृक्षों की जड़ों एवं प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को कोई क्षति नहीं पहुचाई जायेगी**। इस हेतु वचनबद्धता दी जाती है।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

उ0प्र0 शासन/वन विभाग द्वारा मानक शर्त तथा उसके मान्य होने का प्रमाण—पत्र शासनादेश

संख्याः—7314/14.03.980/82 दिनांक 31.12.1984

1. भूमि स्थानान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नही होगा तथा यह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बना रहेगा।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित वन भूमि अथवा किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था विशेष को स्थानान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मांगी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरित विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाऐंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुआवजे का भुगतान विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी के देखरेख में करायेगा तथा इसके सम्बन्ध में बनो गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाये केवल अपरिहार्य कारणो से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति को एवं वन जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य परियोजना हेतु करने अथवा विभाग/संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस की जायेग। वन भूमि तथा संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा इस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
10. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण—पत्र के आधार पर आंकलित किया जायेगा। जो याचक विभाग को मान्य होगा।
11. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ0प्र0 वन विभाग द्वारा अथवा अन्य उपयुक्त प्रक्रिया से जो वन विभाग उचित समझे यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पातन आवश्यक हो, तो विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
12. हस्तान्तरित वन भूमि में पड़ने वाले वृक्षों का प्रतिकर याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दो पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा का भुगतान को करना होगा। 1000 मी0 से व 20 डिग्री से अधिक ढाल व

खड़े वृक्षों का पालन निषिद्ध है। इसी प्रकार के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

13. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन से जाने में तथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बनिधत वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

14. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते दर्शायी जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगा।

15. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जायेगा जब उक्त शर्तो का पूरी तरह पालन कर दिया जाये अथवा समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाण–पत्र

उपरोक्त शर्तें हमें मान्य है।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

संलग्नक–(09)

UNDER TAKING FOR DISPOSAL OF MUCK

This to Certify that during execution of construction work any pits/trenches dug shall be restored back by filling of excavated soil and soil will be reinstated. In this work extra muck if any will be disposed away.

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
Baghpat

संलग्नक–(10)

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव विहार के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागपत/मेरठ में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत द्वारा जनपद प्रस्तावित पुल तक एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु वांछित 1.215 हे0 लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु भेजे जा रहे प्रस्ताव में प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि के राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार क्षेत्र 10 कि0मी0 की परिधि से बाहर है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बागपत।

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest Land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, Provincial Division P.W.D. Baghpat. for diversion under (FCA-1980) of 0.284 Ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for Laying O.F.C. The site inspection of the land involved in the proposal has doen by me on dated. 08-09-2014.

On inspection of the site, it is found that the land erquired by the user agency is a protected forest measuring 0.284 Ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency of col-2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. if, so the details there of- No.

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment of any other important monuments is located in the area. if, so the details there of with NOC form competent authority, if required-No.

(a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work and work has been started without proper sanction.,( )

Specific recommendation for acceptance of other wise of the proposal.

The project is recommended as it would benefit Public.

Place :- Baghpat

Date :-

Divisional Director
Social Forestry Division
Baghpat

N.B.X- stage the purpose for which the forest land is proposed to be diverted xx out of (a) and (b) tick the option which is applicatble and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 F.C. dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, land the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

संलग्नक–(12)

"वन स्वरूप क्षेत्र" सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागपत/मेरठ में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत द्वारा जनपद प्रस्तावित पुल तक एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु वांछित 1.215 हे0 **लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि** के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु भेजे जा रहे प्रस्ताव में 1.215 हे0 संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त चिन्हित **"वन स्वरूप क्षेत्रों" की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है।**

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बागपत।

संलग्नक–(13)

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागपत/मेरठ में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत द्वारा जनपद प्रस्तावित सेतु तक एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु वांछित 1.215 हे0 लो0नि0वि0 के स्वामित्व एवं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु भेजे जा रहे प्रस्ताव में 1.215 हे0 लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्ताव हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र भारत सरकार की विधिवत् स्वीकृति से पूर्व उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता दी जाती है।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

संलग्नक–(14)

स्वामित्व विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागपत/मेरठ में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत द्वारा जनपद प्रस्तावित सेतु तक एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु वांछित 1.215 हे0 लो0नि0वि0 के स्वामित्व एवं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु भेजे जा रहे प्रस्ताव में 1.215 हे0 लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि के स्वामित्व लो0नि0वि0 का ही है। जिस पर कोई आपत्ति नहीं है।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

वन विभाग, बागपत तथा लोक निर्माण विभाग बागपत के अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी आख्या निम्न प्रकार है:- (संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17/8/15)

उपरोक्त विषयक मेरठ–बागपत मार्ग पर किमी0 71 दायी पटरी पर पुल एवं पहुँच मार्ग बनाने पर बाधक वृक्षो की सूची

क्र0सं0	किमी0 पटरी	प्रगति	गोलाई (सेमी0 में)	व्यास (वर्ग में)	F/U	दशा
1	2	3	4	5	6	7
1.	71 दायी पटरी	ज्यूली फ्लोरा	100	3-4	U	हरे खडे
2.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	82	2-3	U	---तदैव---
3.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	148	4-5	U	---तदैव---
4.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	145	4-5	U	---तदैव---
5.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	140	4-5	U	---तदैव---
6.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	120	3-4	U	---तदैव---
7.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	90	3-4	U	---तदैव---
8.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	82	2-3	U	---तदैव---
9.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	75	2-3	U	---तदैव---
10.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	140	4-5	U	---तदैव---
11.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	113	3-4	U	---तदैव---
12.	---तदैव---	खैर	45	1-4	U	---तदैव---
13.	---तदैव---	जांड	120	3-4	U	---तदैव---
14.	---तदैव---	पीपल	130	4-5	U	---तदैव---
15.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	94	3-4	U	---तदैव---
16.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	60	1-2	U	---तदैव---
17.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	128	4-5	U	---तदैव---
18.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	136	4-5	U	---तदैव---
19.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	145	4-5	U	---तदैव---
20.	---तदैव---	पीपल	227	7-8	U	---तदैव---
21.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	98	3-4	U	---तदैव---
22.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	152	4-5	U	---तदैव---
23.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	140	4-5	U	---तदैव---
24.	---तदैव---	पीपल	92	2-3	U	---तदैव---
25.	---तदैव---	बबूल	92	2-3	U	---तदैव---

JE AE

क्र0सं0	किमी0 पटरी	प्रगति	गोलार्द्ध (सेमी0 में)	व्यास (वर्ग में)	F/U	दशा
26.	---तदैव---	ज्यूली फ्लोरा	128	4-5	U	---तदैव---
27.	---तदैव---	शीशम	114	3-4	F	---तदैव---
28.	---तदैव---	वकैन	85	2-3	U	---तदैव---
29.	---तदैव---	वकैन	76	2-3	U	---तदैव---
30.	---तदैव---	पिलखन	88	2-3	U	---तदैव---

उक्त दर्शाये गये वृक्षो का स्वामित्व वन विभाग का है। रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बागपत

अवर अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0, बागपत

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0, बागपत

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत।

7	अधिष्ठान व्यय 8.615 प्रतिशत	21.55				
8	भूमि अध्याप्ति की लागत	298.72				
9	वन विभाग/विद्युत विभाग हेतु लागत	30.00				
	योग-	674.62				
	महायोग-	1173.65	235.00	166.00	50.00	

(1) परियोजना की लागत का अधिष्ठान व्यय चालू वित्तीय वर्ष में लेखा शीर्षक-1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-05-अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियों में जमा की जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आंकलित लागत में 01 प्रतिशत लेबर सेस आंकलित किया गया है जो इस शर्त के अधीन है कि वह उपकर श्रम विभाग को वास्तविक रूप से भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

(5) कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। कार्य एवं फंडिंग की डुप्लीकेसी न हो, यह भी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना सम्बन्धी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या-831/23-1-10(रिट)/10, दिनांक 20.04.10 के अनुपालन में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि समस्त अपेक्षित अनापत्तियां प्राप्त कर ली गई हैं।-

(7) मूल्य ह्रास निधि की 1.50 प्रतिशत सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी।

(8) भूमि की अध्याप्ति सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) सेतु की लम्बाई/चैड़ाई में परिवर्तन, स्वीकृत परियोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि वित्त समिति की का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अनुमोदित कार्यों की तकनीकि स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अंदर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।

(10) सेतु निर्माण में एबटमेन्ट व उससे एडज्वायनिंग स्पान में डेक स्तर तक का कार्य प्राथमिकता पर किया जाय एवं पहुंच मार्ग का कार्य भी सेतु निर्माण के साथ साथ सम्पादित किया जाय पहुंच मार्ग व सेतु पर आवश्यकतानुसार रोड सेफटी के कार्य भी कराया जाय।

(11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाया

(12) कार्यदायी संस्था /विभाग द्वारा नियमानुसार विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृत प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(13) प्रायोजना की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

क्रमशः---------

संख्या-87आ0/23-10-14-32(सेतु)/2014

प्रेषक,

संजीव कुमार,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास),
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 28 जनवरी, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत जनपद बागपत में ग्राम बालौनी के निकट हिन्डन नदी पर संकरे सेतु के स्थान पर नये सेतु के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-774/प्रा0आग0-बागपत/सेतु-6/14, दिनांक 14.11.14 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बागपत में ग्राम बालौनी के निकट हिन्डन नदी पर संकरे सेतु के स्थान पर नये सेतु के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 1173.65 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ तिहत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये धनराशि (पूर्णांक में) रू0 235.00 लाख (रुपये दो करोड़ पैंतीस लाख मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रम सं0	कार्य का विवरण	आंकलित लागत	वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटन	अनुदान सं0-57 का अंश	अनुदान सं0-83 का अंश	कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5	6	7
अ-1	सेतु की लागत(लं0 149.55 मी0)	462.81				सेतु निगम
2	5 प्रतिशत कमी करते हुये लागत	439.67				
3	लेबर सेस 1 प्रतिशत	4.40				
4	सेंटेज चार्ज 12.5 प्रतिशत	54.96				
	योग-	499.03				
ब-1	पहुंच मार्ग की लागत	141.75	235.00	185.00	50.00	लोक निर्माण विभाग
2	अति0 पहुंच मार्ग की लागत	44.23				
3	सुरक्षात्मक कार्य की लागत	127.41				
	योग-	313.39				
4	कन्टीजेंसी 1 प्रतिशत	3.13				
5	लेबर सेस 1 प्रतिशत	3.13				
6	मूल्य ह्रास निधि 1.5 प्रतिशत	4.70				